सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. किशनलाल पुत्र स्व. सोहनलाल
2. मु. पेमा बेवा सोहनलाल
3. विमला
4. सन्तोष } पुत्रियां स्व. सोहनलाल

जाति जाट निवासीगण वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)

5. सन्तोष पत्नी स्व. मुंशीराम (पुत्र स्व. सोहनलाल) जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)
6. प्रीति } नाबालिग पुत्र–पुत्री स्व. मुंशीराम जाति जाट जरिये कुदरती वलिया अपनी
7. कपिल } माता सन्तोष पत्नी स्व. मुंशीराम जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व. सोहनलाल जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)
2. सुमनदेवी पत्नी श्री प्रतापकुमार जाति जाट निवासिनी ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. गोपीकृष्ण पुत्र स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाडेट तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
4. ईश्वरसिंह पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला चूरू
5. अमीलाल धेतरवाल पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाडेट तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

7. मोहनलाल
8. चेतन
9. टोरूराम

पुत्रगण स्व. हनुमान जाति जाट निवासीगण वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

10. औंकारीदेवी पत्नी स्व. हनुमान
11. गणपत पुत्र टोडाराम
12. सीताराम पुत्र स्व. सोहनलाल

जाति जाट निवासीगण वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 30/2017

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ललित गौतम एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:-

तनकी नं. 1 वादीगण के खिलाफ एवं तनकी नं. 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह डिकी मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20 माह दिसम्बर सन् 2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
30/2017	दावा 188 RTA	29.11.2012	20.12.2017

1. किशनलाल पुत्र स्व. सोहनलाल
2. मु. पेमा बेवा सोहनलाल
3. विमला
4. सन्तोष पुत्रियां स्व. सोहनलाल

जाति जाट निवासीगण वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)

5. सन्तोष पत्नी स्व. मुंशीराम (पुत्र स्व. सोहनलाल) जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)
6. प्रीति
7. कपिल

नाबालिग पुत्र–पुत्री स्व. मुंशीराम जाति जाट जरिये कुदरती वलिया अपनी माता सन्तोष पत्नी स्व. मुंशीराम जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व. सोहनलाल जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू (राज.)
2. सुमनदेवी पत्नी श्री प्रतापकुमार जाति जाट निवासिनी ग्राम सिरसली तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. गोपीकृष्ण पुत्र स्व. भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाडेट तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
4. ईश्वरसिंह पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला चूरू
5. अमीलाल धेतरवाल पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाडेट तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

7. मोहनलाल
8. चेतन
9. टोरूराम

पुत्रगण स्व. हनुमान जाति जाट निवासीगण वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

10. आँकारीदेवी पत्नी स्व. हनुमान
11. गणपत पुत्र टोडाराम
12. सीताराम पुत्र स्व. सोहनलाल

जाति जाट निवासीगण वार्ड संख्या 35, कालेरा बास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री ललित गौतम वादी
2. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़ प्रतिवादी सं. 1 से 5

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित खातेदारी कृषि भूमि वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू भू–अभिलेख निरीक्षक, चूरू के खेत खसरा संख्या 1217 की 1.12 बीघा व खसरा संख्या 1220 की 8.16 बीघा व खसरा संख्या 1258 की 19 बीघा व खसरा संख्या 1259 की 8.04 बीघा व खसरा संख्या 1260 की 40.15 बीघा व खसरा संख्या 1262 की 6.10 बीघा कुल किता 6 की 84. 17 बीघा कृषि भूमि चूरू में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमियों में वादी किशनलाल वादिया पेमा व प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद व गौण प्रतिवादी सीताराम का 32/84 हिस्सा है जिनमें से प्रतिवादी राजेन्द्रप्रसाद ने अपना 8/84 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को विक्रय कर दिया। वादिया सन्तोष, प्रीति, कपिल का 8/84 हिस्सा, वादिया विमला, सन्तोष का 2/84 हिस्सा रहा है तथा गौण प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9, 10 का 1/4 हिस्सा व गौण प्रतिवादी गणपत का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादीगण का काफी अर्से पूर्व उपरोक्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में जुबानी तौर पर औपचारिक रूप से अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 जो कि भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है और वादगत कृषि भूमियों को अवैध व अनाधिकृत तरीके से अपनी ईच्छानुसार सड़क साईड पर काबिज रहने की फिराक में है तथा इसी गरज से प्रतिवादी संख्या 1 अन्य सह खातेदारान को मुगालते में रखकर वादगत कृषि भूमियों की अच्छी साईड को हड़प करना चाहता है। काफी अर्से से वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमियों को अविभाजित होते हुए भी विक्रय करने की फिराक में है, इसी गरज से प्रतिवादी संख्या 1 ने अजनबी व्यक्तियों को लाकर कृषि भूमि दिखाता रहा है तथा विक्रय करने पर उतारू होता रहा है, जिस हेतु कई बार वादी व शेष गौण प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया और कहा कि बिना विधिवत् विभाजन करवाये वह अन्य किसी भी व्यक्ति को कृषि भूमि विक्रय नहीं करे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण व अन्य औण प्रतिवादीगण को मुगालते में रखकर सह खातेदारी की कृषि भूमियों को बिना विभाजन करवाये प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को जरिये विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 31.10.2012 को विक्रय कर दिया है और अब प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 अपनी क्रय की गई कृषि भूमि के हिस्से पर अपनी मर्जी से जबरदस्ती कब्जा करने की चेष्टा में हैं तथा नामान्तरकरण दर्ज करवाने की फिराक में हैं, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वे बैनामा दिनांक 31.10.2012 के आधार पर क्रय की गई कृषि भूमियों का नामान्तरकरण कपने नाम से दर्ज नहीं करवायें तथा ना ही अविभाजित कृषि भूमियों के विधिवत् विभाजन होने तक अपनी मर्जी से जबरन कब्जा करें।

यह कि वादीगण तथा गौण प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में जो हिस्सा संयुक्त खातेदारी का दर्ज है, संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ईंच पर कब्जा कानूनन होता है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 अजनबी व्यक्ति (Stranger Person) केता है जिनको अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 को बैनामा पंजीकृत होने के पहले व बाद में काफी बार कहा है कि अविभाजित कृषि भूमि को बिना विभाजन के विकय नहीं किया जावे तथा ना ही विकय के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जबरदस्ती कब्जा करें व नामान्तरकरण दर्ज करवायें। प्रतिवादीगण ने वादीगण की इस बात को मानने से कल दिनांक 26.11.2012 को उनकार कर दिया इसलिए वादीगण को वादाधार अविभाजित कृषि भूमि में संयुक्त खातेदार होने से प्राप्त है तथा वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा अविभाजित भूमि पर जबरदस्ती नामान्तरकरण दर्ज कब्जा करने से मना करने पर हासिल है। यह कि वादगत कृषि भूमियां कस्बा चूरू में स्थित हैं जिसके सम्बन्ध में वाद सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। यह कि वाद स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत है जिसकी मालियत 1000/– रूपये कायम की जाकर उचित न्यायशुल्क पर वाद पेश किया जा रहा है। यह कि गौण प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी कृषि भूमियों के सह–खातेदार हैं। इसलिए इनको औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। यह कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना ही यह वाद पेश किया जा रहा है। वाद अन्दर मियाद पेश है।

अतः वादीगण की तरफ से वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को जरिये स्थाई व्यादेश वर्जित किया जावे कि वे वाद के पैरा संख्या एक में वर्णित खसरा संख्या 1217, 1220, 1258, 1259, 1260, 1262 कुल तादादी 84.17 बीघा रोही कस्बा चूरू की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करें, ना किसी अन्य से करावें, ना वादीगण के कब्जे में कोई बाधा कारित करें तथा ना ही नामान्तरकरण दर्ज करवायें।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश वर्जित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 अपने पक्ष में करवाये गये विकय पत्र दिनांकित 31.10.2012 के आधार पर अजनबी केता होने के कारण कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं करवाये।

(ग) यह कि जरिये स्थाई व्यादेश प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे कि वे वादगत कृषि भूमियों के रेकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण उत्पन्न हो जावे वह भी दिलवाया जावे।

(ड़) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 की ओर से श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया व पत्रावली जवाबदावा में लम्बित रही। दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

30.07.13 को प्रतिवादी सं. 2 से 5 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 2 से 5 की ओर से जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की मद सं. 1 में लिखे तथ्य तोड़ मरोड़ कर वादीगण व गौण प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी के तथ्य अपूर्ण दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। बाकी तथ्य सही दर्ज होने के कारण स्वीकार हैं। वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1217, 1220, 1258, 1259, 1260, 1262 कुल तादादी 84 बीघा 17 विश्वा रोही चूरू के वादीगण व प्रतिवादीगण सं 2 से 5 एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि से प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 जो 8/84 हिस्सा के खातेदार काबिज काश्तकार हैं। यह कि वादपत्र की मद सं. 2 में दर्ज तमाम तथ्य वास्तविकता के विपरीत काल्पनिक रूप से गलत दर्ज किये गये हैं इसलिए अस्वीकार हैं। वादगत कृषि भूमि जो 84 बीघा 17 विश्वा है जिसमें से 1/2 हिस्सा की भूमि सड़क की तरफ पारिवारिक बाहमी बंटवारे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में 20 साल से चली आ रही है बाकी पीछे की बिना सड़क की 1/2 हिस्से की भूमि बाहमी बंटवारे अनुसार गौण प्रतिवादी सं. 7 से 11 के हिस्से में चली आ रही है इसी प्रकार पक्षकार के मध्य बाहमी बंटवारा है बाहमी बंटवारे अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हिस्से की 8/84 हिस्सा जो सड़क के उपर है वह भूमि प्रतिवादी सं. 2 ता 5 को साधिकार जरिये बैनामा दिनांक 31.10.12 को बिकी की गई है दिनांक 22.11.12 को इन्तकाल सं. 2344 दर्ज हुआ ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 2 ता 5 जो कि संयुक्त खातेदार काश्तकार काबिज बैनामा की दिनांक से चले आ रहे हैं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का मौके पर कब्जा काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा है ऐसी स्थिति में संयुक्त खातेदार प्रतिवादीगण के खिलाफ कानूनन चिरस्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है खारिज योग्य है।

यह कि वादपत्र की मद सं. 3 में दर्ज तमाम तथ्य वास्तविकता के विपरीत गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 जो कि इस भूमि के संयुक्त खातेदार एवं काबिज काश्तकार दिनांक 31.10.12 से चले आ रहे हैं मौके पर कब्जा काश्त बैनामा की दिनांक से प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 का है वादीगण द्वारा गलत कथन कर यह झूठा दावा पेश किया है जो खारिज योग्य है। यह कि वादपत्र की मद सं. 4 में दर्ज तमाम तथ्य गलत दर्ज किये गये हैं इसलिए अस्वीकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 राजेन्द्रप्रसाद द्वारा साधिकार 8/84 हिस्सा का बैनामा दिनांक 31.10.12 को प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 के हक में कराया है जिसका इन्तकाल राजस्व अभिलेख बैनामे के अनुसार दिनांक 22.11.12 को दर्ज हुआ है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 सद्भाविक केता व खातेदार काश्तकार काबिज हैं इसलिए वादीगण को कोई वादकारण कोई वाद आधार संयुक्त खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के खिलाफ प्राप्त नहीं है दावा वादीगण खारिज योग्य है। यह कि वादपत्र की मद सं. 5 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। यह कि वादपत्र की मद सं. 6 में जो स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जाना कथन किया है वो कानूनन संयुक्त खातेदार के खिलाफ दावा पोषणीय नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी

यह कि वादपत्र की मद सं. 7 गलत दर्ज की गई है इसलिए अस्वीकार है। यह कि वादपत्र की मद सं. 8 में दर्ज तथ्य गलत हैं मद सं. 8 में दर्ज अनुतोष वादीगण कानूनन रूप से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं इसलिए दावा वादीगण मय खर्चा खारिज योग्य है। प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण का दावा जो संयुक्त खातेदारी काबिज काश्तकार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के खिलाफ पेश किया गया है जबकि संयुक्त खातेदारों के खिलाफ कानूनन रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चल नहीं सकता इसलिए दावा वादीगण मय खर्चा खारिज योग्य है। अतः जवाबदावा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा हेतु समय चाहा गया जिस पर समय दिया गया। तत्पश्चात् जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाने के बाद प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जिसकी प्रति वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश जवाबदावा में वही तथ्य अंकित किये गये हैं जो कि प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की ओर से पेश जवाबदावा में अंकित किये गये हैं।

वादीगण की ओर से पेश दावा के मुख्य प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश हो जाने पर दावा के विवाद बिन्दुओं के निस्तारण हेतु दिनांक 24.03.15 को निम्नांकित तनकियात् कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गई:–

1. आया प्रतिवादीगण को जरिये डिग्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि ये वादगत कृषि भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करें व रहन बय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें तथा ना ही नामान्तरण दर्ज करवाये ?

–वादीगण–

2. आया वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। संयुक्त खातेदारों के खिलाफ कानूनन रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नहीं चल सकता इसलिए दावा वादीगण खारिज योग्य है ?

–प्रतिवादीगण–

3. अन्य अनुतोष।

दावा में तनकियात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी जाकर काफी अवसर वादीगण को दिये गये परन्तु इस दौरान साक्ष्यवादी एक बार भी उपस्थित नहीं आये जिस पर दिनांक 17.11.2015 को साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु रखी गई। अगली तारीख पेशी दिनांक 09.12.15 को वादीगण एवं वकील वादीगण के उपस्थित नहीं आने से दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 25.02.16 को वादीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी का पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जाकर दावा बाजवे नम्बर पर दर्ज करने का निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से श्री नन्दराम राहड़ एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व जवाब प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहा गया। तत्पश्चात् अन्तिम अवसर भी दिया गया जिस पर वकील प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा अपने अनुपस्थित रहने का कोई युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना जाकर वादीगण के सुनवाई के अधिकार के मध्यनजर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण पुनः उसी स्तर पर बाजवे नम्बर पर दर्ज किया जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादीगण को काफी अवसर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिये गये परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिस पर अन्ततः दिनांक 22.08.17 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर दावा से सम्बन्धित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं. 109/12 की पत्रावली दावा के संलग्न करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र सं. 109/12 की पत्रावली इस दावा के संलग्न की गई जिसमें दिनांक 29.07.2015 को निर्णय किया जाकर उभयपक्ष को ता फैसला दावा अपने अपने हिस्से तक मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था। वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वादगत कृषि भूमि की चालू जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामिल मिसल की गई।

वादीगण द्वारा पेश दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादी राजेन्द्र ने अविभाजित कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 को जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड विक्रय किया है जबकि संयुक्त खातेदारी की भूमि को विक्रय नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी सं. 3 से 5 ने संयुक्त खातेदारी की भूमि में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर कब्जा करने का प्रयास किया तब हमें धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाना पड़ा है जिसका साक्ष्य विक्रय पत्र है। उक्त कृषि भूमि का कोई विभाजन पूर्व में हो जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी ने भी दिया है। हम यह चाहते हैं कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि विभाजन करवा कर ही बेचें। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी राजेन्द्र व किशनलाल आपस में भाई हैं एवं उक्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की है जिसमें नियमानुसार कोई भी खातेदार अपना हिस्सा विक्रय कर सकता है इसलिए जिस हिस्से पर हमारा कब्जा था हमने वही हिस्सा विक्रय किया है। प्रतिवादी राजेन्द्र ने विक्रय पत्र के जरिये वादगत कृषि भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकार व कब्जा प्रतिवादी सं. 3 से 5 को स्थानान्तरित किये हैं। वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि के बाकी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे दावा में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। नियमानुसार सह खातेदारों के खिलाफ कोई सह खातेदार धारा 188 के अन्तर्गत दावा नहीं चला सकता। इस दावा Burdan of proof वादी का था जिसने अपनी Pleading को Proof नहीं किया। प्रतिवादी राजेन्द्र खातेदार है इसलिए उसको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

करने से मना नहीं किया जा सकता। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपने बहस कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.डी. 1998 पेज 154 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 193 भी पेश किये।

वादीगण की ओर से पेश दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली व पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादी की ओर से पेश जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम चूरू के ख.नं. 1217, 1220, 1258, 1259, 1260, 1262 कुल तादादी 84.17 बीघा में मोहनलाल चेतन टोरूराम पि. हनुमान ब मु. ओंकारी बेवाह हनुमान 1/4 हि. ब.हि.ब. गणपत पुत्र टोडाराम 1/4 हि. किशनलाल सीताराम राजेन्द्रप्रसाद पि. सोहनलाल व मु. पेमा बेवाह सोहनलाल हि. 32/84 ब.हि.ब. सन्तोष पत्नी मुन्शीराम कपिल प्रीति पुत्र–पुत्री मुन्शीराम हि. 8/84 ब.हि.ब. विमला सन्तोष पुत्रियां सोहनलाल हि. 2/84 ब.हि.ब. कौम जाट सा.देह खातेदार दर्ज हैं। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सह खातेदार हैं। मु. बरजी बेवाह हुक्माराम के स्वर्गवास के बाद उनका विरासतन नामान्तरकरण सं. 2211 दिनांक 15.12.2011 दर्ज हुआ है जिसमें वादगत कृषि भूमि में बरजी के दर्ज 1/12 हिस्से में उसके समस्त 7 वारिसान के नाम दर्ज हुए हैं। वादीगण अपने दावा में उक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाहते हैं तथा प्रतिवादी सं. 2 से 5 के विरूद्ध उनके पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2012 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाने से वर्जित करवाना चाहते हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि उक्त विक्रय पत्रों के जरिये केतागण द्वारा क्रय की भूमि का नामान्तरकरण सं. 2344 दर्ज होकर दिनांक 22.11.2012 को स्वीकृत हो चुका है तथा प्रतिवादी सं. 2 से 5 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो चुके हैं। पत्रावली के संलग्न छाया प्रति दो बैनामा दिनांकित 31.10.2012 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 31.10. 2012 को अपने खातेदारी में अंकित 8/84 हिस्से में से प्रथम बैनामा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के हक में 3/84 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 के हक में 1/84 हिस्सा विक्रय किया है तथा द्वितीय बैमामा में प्रतिवादी सं. 2 के हक में अपना शेष 4/84 हिस्सा विक्रय किया है। उक्त बैनामों के अनुसार विक्रेता खातेदार ने अपने खातेदारी के समस्त हक व अधिकार ज्यों के त्यों केतागण को उचित प्रतिफल प्राप्त करके सौंप दिये हैं। नामान्तरकरण सं. 2211 व 2344 के विरूद्ध कोई अपील एवं विक्रय पत्र दिनांक 31.10.2012 को निरस्त करवाने बाबत किसी सक्षम न्यायालय में कोई दावा वादीगण द्वारा किये जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा ना ही वादीगंण द्वारा पेश दावा में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया गया है। दावा में गौण प्रतिवादी सं. 7 से 12 उपस्थित नहीं हुए हैं। वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी भी नही करवाई गई है। प्रतिवादी सं. 2 अपने सम्पूर्ण 8/84 हिस्सा का विक्रय प्रतिवादी सं. 2 से 5 को करवा चुका है। प्रतिवादी सं. 2 से 5 के नाम अपने अपने हिस्से अनुसार वर्तमान में दर्ज रिकार्ड हैं जिससे वे सद्भाविक काश्तकार की श्रेणी में आते हैं। वकील प्रतिवादी द्वारा पेश माननीय

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जो इस प्रकरण पर सटीक रूप से लागू होते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात् दावा में कायम की गई तनकियात् के आधार पर दावा का निर्णय किया जाना उचित समझते हुए तनकीवार निर्णय किया गया:–

तनकी नं. 1 में वर्णित है कि "आया प्रतिवादीगण को जरिये डिग्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वे वादगत कृषि भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करें व रहन बय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें तथा ना ही नामान्तरण दर्ज करवाये ?"

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था जिन्होंने अपना दावा पेश करते हुए प्रतिवादीगण के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही है परन्तु दावा में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादीगण उनके कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल या अनाधिकार पूर्ण कृत्य कर रहे हों। वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण ने अपने दावा कथनों को पुष्ट कराने के लिए साक्ष्यवादी भी पेश नहीं किये हैं। नियमानुसार किसी भी वादी को अपने दावा कथनों एवं दस्तावेजों को अपने मौखिक साक्ष्य से प्रदर्शित करवा कर प्रतिवादी की जिरह से प्रमाणित करवाना आवश्यक होता है परन्तु इस प्रकरण में वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की अविभाजित भूमि है जिसमें किसी भी खातेदार को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित कर उसके खातेदारी के हक व अधिकार से वंचित किया जाना न तो उचित है एवं ना ही विधिसम्मत है, जैसा कि वकील प्रतिवादी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्तों में वर्णित है कि .....। इस प्रकार तनकी नं. 1 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

निर्णयः– तनकी नं. 1 को सिद्ध करने में वादीगण असफल रहे हैं। अतः तनकी नं. 1 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है। संयुक्त खातेदारों के खिलाफ कानूनन रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नहीं चल सकता इसलिए दावा वादीगण खारिज योग्य है ?"

तनकी नं. 2 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर था जिन्होंने जवाबदावा पेश करते हुए अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 1 राजेन्द्र ने अपने खातेदारी के 8/84 हिस्से को साधिकार उचित प्रतिफल प्राप्त करके प्रतिवादी सं. 2 से 5 को जरिये रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विक्रय पत्र विक्रय करते हुए अपनी खातेदारी के समस्त हक, अधिकार व कब्जा काश्त प्रदान किये हैं तथा प्रतिवादी सं. 2 से 5 के नाम खातेदारी में उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर इन्तकाल दर्ज होकर जमाबन्दी में दर्ज हो चुके हैं तथा प्रतिवादी सं. 2 से 5 सद्भाविक खातेदार व काबिज काश्तकार हो चुके हैं जिससे संयुक्त खातेदारी की भूमि में संयुक्त खातेदारों के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कानूनन नहीं चल सकता। हालांकि प्रतिवादीगण ने भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये हैं परन्तु जमाबन्दी के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त व सद्भाविक खातेदार हैं, जिससे तनकी नं. 2 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होती है तथा तनकी नं. 1 भी वादीगण के खिलाफ प्रमाणित हो चुकी है।

निर्णयः— तनकी नं. 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अन्य अनुतोषः— खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

आदेश

तनकी नं. 1 वादीगण के खिलाफ एवं तनकी नं. 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू